

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]  
No. 165]

दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2011/आश्विन 12, 1933  
DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2011/ASVINA 12, 1933

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 167  
[N.C.T.D. No. 167

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग  
आयुक्तानाएं  
दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2011

सं. एफ. 3(14)/वित्त (क. एवं स्था.)/2009-10/डीएस-II/623.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित ग्रेड-2 (दास) कर्मचारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात्:—

| क्र. | अधिकारी का नाम<br>(श्री/श्रीमती/कु.) | जन्मतिथि   | पदनाम                      |
|------|--------------------------------------|------------|----------------------------|
| 1.   | मच्छिता मलिक                         | 15-8-1982  | मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक |
| 2.   | हरी कृष्ण                            | 17-12-1952 | मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक |
| 3.   | आई.ए. खान                            | 6-4-1964   | मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक |
| 4.   | भूपिन्द्र                            | 8-9-1982   | मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक |
| 5.   | पंकज कुमार                           | 12-11-1982 | मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक |

### FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT NOTIFICATIONS

Delhi, the 4th October, 2011

No. F. 3(14)/Fin (T & E)/2009-10/DS.-II/623.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Gr. -II (DASS) officials, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:—

| Sl. No. | Name of the Officer<br>(Sh./Smt./Km.) | D.O.B.     | Appointed As              |
|---------|---------------------------------------|------------|---------------------------|
| 1.      | Macchita Malik                        | 15-8-1982  | Value Added Tax Inspector |
| 2.      | Hari Krishan                          | 17-12-1952 | Value Added Tax Inspector |
| 3.      | I. A. Khan                            | 6-4-1964   | Value Added Tax Inspector |
| 4.      | Bhupender                             | 8-9-1982   | Value Added Tax Inspector |
| 5.      | Pankaj Kumar                          | 12-11-1982 | Value Added Tax Inspector |

सं. एफ. 3(14)/वित्त (क. एवं स्था.)/2009-10/डीएस-II/624.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु.) | जन्मतिथि | पदनाम                      |
|----------|-----------------------------------|----------|----------------------------|
| 1.       | जितेन्द्र कुमार                   | 2-6-1981 | मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक |
| 2.       | सुबाष राणा                        | 1-1-1978 | मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक |
| 3.       | कमल कुमार चांदना                  | 7-3-1959 | मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक |

No. F. 3(14)/Fin (T & E)/2009-10/DS-II/624.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

| Sl. No. | Name of the Officer (Sh./Smt./Km.) | D.O.B.   | Appointed As              |
|---------|------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1.      | Jitender Kumar                     | 2-6-1981 | Value Added Tax Inspector |
| 2.      | Subash Rana                        | 1-1-1978 | Value Added Tax Inspector |
| 3.      | Kamal Kumar Chandna                | 7-3-1959 | Value Added Tax Inspector |

सं. एफ. 3(9)/वित्त (क. एवं स्था.)/2009-10/पार्ट फा.-1/डीएस-II/625.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु.) | जन्मतिथि  | पदनाम                           |
|----------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1.       | आर.एल. मल्होत्रा                  | 15-1-1954 | सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, अरविन्द जैन, उप सचिव -II

No. F. 3(9)/Fin. (T & E)/2009-10/Pt. F. 1/DS. II/625.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

| Sl. No. | Name of the Officer (Sh./Smt./Km.) | D.O.B.    | Appointed As                   |
|---------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1.      | R.L. Malhotra                      | 15-1-1954 | Asstt. Value Added Tax Officer |

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,  
ARVIND JAIN, Dy. Secy.-II

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2011

सं. फा. 8/380/2011/गृह पुलिस-2/6240.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. 11011/2/74-यू.टी.एल. (1) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री सुरेश चन्द्र त्रिपाठी, एडवोकेट, को सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में विजय कटारिया बनाम थानाध्यक्ष, भ्रष्टाचार निरोध शाखा राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार) की ओर से अपील प्रस्तुत करने/अपराधिक मुकदमा सं. 179/09 के संचालन के लिए विशेष सरकारी अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं। उन्हें प्रत्येक उपस्थिति के लिए 22000/- रुपये की राशि, याचिका/प्रत्युत्तर के प्रारूपण के लिए 11000/- रुपये की राशि का शुल्क भुगतान किया जाएगा! दिल्ली जल बोर्ड श्री सुरेश चन्द्र त्रिपाठी का शुल्क वहन करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, राजपाल सिंह, उप-सचिव

**HOME (POLICE-II) DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 4th October, 2011

**No. F. 8/380/2011/HP-II/6240.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i), dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint, Shri Suresh Chandra Tripathy, Advocate, as Special Public Prosecutor for filing appeal/conduct Criminal Case No. 179/09, Vijay Kataria Vs SHO, Anti Corruption Branch, on behalf of State (Government of National Capital Territory of Delhi), in the Court of competent jurisdiction. He shall be paid a fee of Rs. 22,000/- toward each appearance, Rs. 11,000/- for drafting petition/rejoinder. Delhi Jal Board shall bear the fee of Shri Suresh Chandra Tripathy.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAJPAL SINGH, Dy. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

( नीति शाखा )

अधिसूचना

दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2011

**सं. फा. 7(7)/पी-III/वैट/2005-06/पार्ट फा.-I/781-792.**—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 27 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, दिल्ली मूल्य

संवर्धित कर, एतद् द्वारा ऐसे पंजीकृत व्यापारियों (कम्पोजिट व्यापारियों के अतिरिक्त) जिनके लिए कर विवरणी मासिक दाखिल करनी अपेक्षित है, के लिए फार्म डी वैट-16 के साथ संलग्न अनुलग्नक 2ए तथा 2बी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक विवरणी के साथ, विभागीय वेबसाइट [www.dvat.gov.in](http://www.dvat.gov.in) में दिये गये फॉर्मेट और अनुदेशों के अनुसार, जमा कराना अनिवार्य करता हूँ।

अनुलग्नक 2ए तथा 2बी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से माह अगस्त, 2011 की कर विवरणी के साथ ऐसे व्यापारियों से, जिनका वर्णन उपरोक्त पैराग्राफ में दिया गया है, जमा होने प्रारम्भ होंगे।

राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

**DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES****(Policy Branch)****NOTIFICATION**

Delhi, the 4th October, 2011

**No. F. 7(7)/P-III/VAT/2005-06/Pt. File-I/781-792.**—

In exercise of the powers conferred under Section 27 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax hereby make it mandatory for all those registered (other than composition) dealers who are required to file their returns on monthly basis, to file Annexure 2A and Annexure 2B attached to the return Form DVAT-16 in electronic form, along with the electronic return, in such format and manner as has been made available on the department's web site at [www.dvat.gov.in](http://www.dvat.gov.in)

Electronic filing of Annexures 2A and 2B for the class of dealers described in above paragraph shall begin with the return for the tax period of August, 2011.

RAJENDRA KUMAR, Commissioner,  
Value Added Tax